जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना कोतवाली शहर दिनॉक 27.09.2023

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 982/23 धारा 323/341/354क/504/506 भादवि व 7/8 पॉक्सो अधि0 के वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 23.09.2023 को थाना कोतवाली शहर निवासिनी वादिनी के साथ अभियुक्त द्वारा छेडछाड, गाली–गलौच करते हुए मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने आदि के संबंध में थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 982/23 धारा 323/341/354क/504/506 भादवि व 7/8 पॉक्सो अधि0 बनाम नावेद पुत्र शाहिद नि0 मो0 काजीवाडा थाना को0शहर बिजनौर पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वारंटी/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 27.09.2023 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 982/23 धारा 323/341/354क/504/506 भादवि व 7/8 पॉक्सो अधि0 के वांछित अभियुक्त 1.नावेद पुत्र शाहिद निवासी मो0 काजीवाडा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1–नावेद पुत्र शाहिद निवासी मो0 काजीवाडा थाना को0शहर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1– उ0नि0 श्री मीर हसन थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

2–आरक्षी 1041 मेघपाल थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

थाना हल्दौर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा महिला के सामने अश्लील हरकतें करना व मना करने पर मारपीट करने वाले अभियुक्तों को दो - दो वर्ष के कठोर कारावास व 07-07 हजार रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाहीः–

अवगत कराना है कि दिनांक 27.02.2017 को अभियुक्त कालू पुत्र डालचंद निवासी ग्राम बधावा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर व सुनील पुत्र जागन सिंह निवासी ग्राम गंगावाला थाना किरतपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादिनी के सामने अश्लील हरकतें करना व मना करने पर गाली गलौच करते हुये मारपीट करने आदि के संबंध में थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 78/17 धारा 294/323/504/506 भादवि व 3(1)द, ध एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 27.09.2023 को मा0 न्यायालय स्पेशल एससी/एसटी एक्ट द्वारा मु0अ0सं0 78/17 धारा 294/323/504/506 भादवि व 3(1)द, ध एससी/एसटी एक्ट के अभियुक्तगण 1- बिजेन्द्र उर्फ कालू पुत्र डालचंद निवासी ग्राम बथावा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर 2- सुनील पुत्र जागन सिंह निवासी गंगावाला थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को दो-दो वर्ष के कठोर कारावास व 07 – 07 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। वादिनी उपरोक्त को 7000/- रुपये प्रतिकर के रुप में दिये जायेगे।

दोषसिद्ध अभियुक्तगण का नाम पताः-

1- बिजेन्द्र उर्फ कालू पुत्र डालचंद निवासी ग्राम बधावा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

2-सुनील पुत्र जागन सिंह निवासी ग्राम गंगावाला थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।